

नए निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य के लिए

(संसद सदस्य वेतन एवं भत्ते शाखा)

कार्यालय व्यय भत्ता प्राप्त करने के लिए राज्य सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्ति को नियुक्त किए जाने के संबंध में सूचना

मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____, जो कि
_____ (पता) पर रहता/रहती है, को
_____ (दिनांक) से सचिवालयी सहायता प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया है।

उसे _____ रूपए
Y (_____ रूपए) की धनराशि का
भुगतान _____ के माध्यम से कर दिया जाए (कृपया यहां निम्नलिखित
विकल्पों में से भुगतान की अधिमान्य पद्धति का उल्लेख करें)।

- (i) मेरे वैयक्तिक सहायक का संसदीय सौध/संसद भवन स्थित भारतीय स्टेट बैंक में खाता संख्या _____।
- (ii) मेरे वैयक्तिक सहायक के नाम से स्वयं का बैंक और मेरे स्थानीय पते पर भेजा जाए।
- (iii) मेरे वैयक्तिक सहायक के नाम से स्वयं का बैंक मेरे स्थायी पते पर भेजा जाए।
- (iv) मेरे वैयक्तिक सहायक के नाम से स्वयं का बैंक जिसे संसद सदस्य वेतन एवं भत्ते शाखा से व्यक्तिगत रूप से ले लिया जाएगा।

नियुक्त किए गए व्यक्ति का हस्ताक्षर: _____

♦ यह अधिप्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
कम्प्यूटर साक्षर है।

हस्ताक्षर : _____

संसद सदस्य का नाम: _____

पहचान पत्र सं.: _____

Y 14000/- रूपए की कुल धनराशि में से हिस्सा।

♦ केवल उसी व्यक्ति पर लागू है जोकि कम्प्यूटर साक्षर है।

टिप्पणी: सदस्य द्वारा नियुक्त किए गए विभिन्न व्यक्तियों के लिए पृथक प्रपत्र भरा जाना चाहिए।